भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

MUMBAI REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

संख्या
No. **B-13.01093**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **इलेक्ट्रानिका फायनान्स लिमिटेड** (26-4-2006 से ' इलेक्ट्रानिका लिझिंग एण्ड फायनान्स लि.' का परिवर्तित नाम) को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया ।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

ELECTRONICA FINANCE LIMITED (Name changed from 'Electronica Leasing & Finance Ltd. w.e.f. 26-4-2006)

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution subject to the conditions given on the reverse.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 13-11-1998 के पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र सं. B-13.01093 के बदले में मेरे हस्ताक्षर के अधीन मुंबई में वर्ष दो हजार सात के अप्रैल माह के दूसरे वें दिन को जारी किया गया।

Given under my hand at Mumbai

on this Second day of the month of April in the year Two Thousand Seven

In lieu of earlier Certificate No. B-13.01093 **dated** 13-11-1998 **issued by RBI,** DNBS, MRO

(P.C. Sahoo)

महाप्रबंधक / ~~उप महाप्रबंधक~~

General Manager / ~~Deputy General Manager~~

वर्गीकरण / Classification / परिसंपत्ति वित्त कंपनी / Asset Finance Company - Non-Deposit Taking

पविक A.F.C

शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा यदि कोई हों, अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, प्रदर्शित की जायेगी ।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कम्पनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-बी के अन्तर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदण्डों का पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया है ।	2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III-B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कम्पनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, मार्गदर्शी सिद्धांतों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा ।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
4. यदि आपकी कम्पनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये : ''कम्पनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (आइ ए) के अन्तर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है । तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कम्पनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कम्पनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कम्पनी द्वारा जमा(राशियों की अदायगी / देयताओं के निपटान के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता ।''	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under : "The company is having a valid Certificate of Registration dated 2nd April 2007 issued by the Reserve Bank of India under section 45I-A of the Reserve Bank of India act, 1934. However, the Reserve Bank of India does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company."
5. *आपकी कम्पनी जनता से फिलहाल कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी । दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कम्पनी जनता से जमाराशियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र व किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमाराशियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है । आपकी कम्पनी हम से विशिष्ट अनुमोदन मिलने पर ही सार्वजनिक जमा स्वीकार करेगी ।	5. *Your company must not accept any public deposit for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposit only after obtaining specific approval from us.
6. आपकी कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराये ।	6. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
*9 जनवरी 1997 को या उसके बाद निगमित / गठित नयी कम्पनियों पर लागू ।	*Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997.